

Serial No. 51 / 2012.

EASTERN RAILWAY

No. F 85 / 0 / Pt XIII

Kolkata, dated 27/04/2012.

ALL CONCERNED

Sub : Grant of Transport Allowance to the Running Staff duly taking into account pay plus 30 % of pay.

\*\*\*\*\*

A copy of Railway Board's letter No E(P&A)II-2011/RS-51 dated 17.04.2012 (RBE No. 51/2012 ) is forwarded herewith for information, guidance and immediate necessary action.

DA: As Above

*G. Bandopadhyay*  
27-4-12  
(G. Bandopadhyay)

Asstt. Personnel Officer/( S&T) & R  
For Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. No E(P&A)II-2011/RS-51 dated 17.04.2012 (RBE No. 51/2012 ) addressed to GMs, All Indian Railways and others.

Sub : Grant of Transport Allowance to the Running Staff duly taking into account pay plus 30 % of pay.

\*\*\*\*\*

One of the Zonal Railways had sought clarification whether 30% of Pay element is to be reckoned for the purpose of payment of Transport Allowance to Running Staff or otherwise

2. The issue has already been considered and also discussed with the representatives of the Staff side after the implementation of the Fifth CPC recommendations but was not agreed to. Therefore, it is clarified that 30% of pay element is not to be reckoned for the purpose of payment of Transport Allowance to Running Staff .

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

\*\*\*\*\*

-----  
Index No.1068: 30% of pay element is not to be reckoned for the purpose of payment of Transport Allowance to Running Staff.

982  
24 APR 2012

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

हम कर्मचारी के द्वारा  
रिपट में परिवर्तित किया जाए  
To be converted into  
RPO's Signed Order

आर.बी.ई.सं. 51/2012

सं.ई(पी.एंड.ए)II-2011/आर.एस.-51

नई दिल्ली, दिनांक/7-04-2012

R, Kol Kote

महाप्रबंधक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,  
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।  
(डाक सूची I और II के अनुसार).

CENTRAL RECORDS  
DATE OF RECEIPT  
24/4

विषय: वेतन प्लस वेतन के 30% को विधिवत् रूप से ध्यान में रखते हुए  
रनिंग स्टाफ को परिवहन भत्ता प्रदान करना।

\*\*\*\*\*

एक जोनल रेलवे ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या रनिंग स्टाफ को परिवहन भत्ते का भुगतान किए जाने के प्रयोजन से वेतन के 30% की गणना की जानी है अथवा नहीं।

2. इस मामले पर पहले ही विचार-विमर्श किया गया है और पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू हो जाने के बाद कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ इस पर चर्चा भी की गई थी परन्तु इस स्वीकार नहीं किया गया है अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि रनिंग स्टाफ को परिवहन भत्ते का भुगतान किए जाने के प्रयोजन से वेतन के 30% की गणना न की जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/स्था.(वे.एवंभ.)II,

रेलवे बोर्ड

अ.म.प्र. वरि.उ.म.प्र. मु.का.धि मु.भ.धि  
AGM SDGM ✓ PO COS  
मु.चि.नि मु.सु.आ बि.स एव मु.ले.धि  
CMD CSC FA & CAO ✓

24 APR 2012

सं.ई(पी.एंड.ए) II-2011/आर.एस.-51


नई दिल्ली, दिनांक/7-04-2012

23/4/12

प्रतिलिपि: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित ) को प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

- (i) महासचिव, ए.आई.आर.एफ. (35 प्रतियों सहित)
- (ii) महासचिव, एन. एफ.आई.आर. (35 प्रतियों सहित)
- (iii) राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 प्रतियों सहित)।
- (iv) महासचिव, फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन(5प्रतियों सहित) ।
- (v) महासचिव, इरपोफ (5 प्रतियों सहित)।
- (vi) महासचिव, आल इंडिया आर.पी.एफ. एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
- (vii) सचिव, इंडियन रेलवे क्लास-II आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
- (viii) सचिव, आर.बी.एस.एस. ग्रुप ए आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
- (ix) सचिव, आर.बी.एस.एस. ग्रुप बी आफिसर्स एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
- (x) सचिव रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (5 प्रतियों सहित)।
- (xi) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप डी कर्मचारी संघ (5 प्रतियों सहित)।
- (xii) महासचिव, आल इंडिया एस. सी./एस.टी रेलवे स्टाफ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन (5 प्रतियों सहित)।
- (xiii) महासचिव, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, 490-ए/16, गुरुदारा रोड, गुड़गांव।

  
कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड।

\*\*\*\*\*